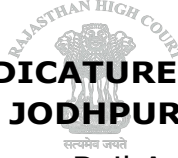




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3017/2026

Kanheya Lal S/o Shri Ramesh, Aged About 20 Years, R/o
Kherwan Balicha Police Thana Patiya District Udaipur.
(At Present Lodged In Dist. Jail Dungarpur)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2604/2026

Jitendra Kumar S/o Shakarchand, Aged About 20 Years, R/o
Kakradungra Jayra Police Station Patiya Dististrict Udaipur.
(At Present Lodged In District Jail Dungarpur)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Jitendra Ojha
For Respondent(s)	:	Mr. Surendra Bishnoi, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

10/03/2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत के पृथक-पृथक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना पाटिया, जिला उदयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 24/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 331(4), 305(ई) भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत हुए हैं।
2. मैंने बहस जमानत आवेदन पत्रों पर सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
3. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि इस मामले में प्रार्थीगण/अभियुक्त पर 53 किलो गेहूं व 38.375 किलो दुध पाउडर चोरी करने का आरोप है, जो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अनुसंधान



पूर्ण होकर नतीजा आने और बाद नतीजा प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः इस आधार पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्रों का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्रों खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा केस डायरी, प्रथम सूचना रिपोर्ट व विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 17.02.2026 का अवलोकन किया। यह मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अनुसंधान पूर्ण होकर नतीजा आने और बाद नतीजा प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

6. अतः बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **01. कन्हैयालाल पुत्र रमेश, 02. जितेन्द्र कुमार पुत्र शाकरचन्द**, उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्येक अभियुक्त अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J